

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,  
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141-2221590, E mail ID : md-nrhm-rj@nic.in

क्रमांक : एनएचएम/आरसीएस/राजश्री/2016/2377 दिनांक : 31/05/2016

समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज,  
समस्त अधीक्षक, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल,  
समस्त अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष महिला चिकित्सालय, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज,  
समस्त अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष शिशु चिकित्सालय, सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज,  
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

विषय:- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए बजट के संबंध में दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- श्रीमान शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास से प्राप्त पत्र क्रमांक : एफ27 (1)

(35) पार्ट- II / निमअ/2015-16/8016, दिनांक 31.05.2016 के सन्दर्भ में।


01.06.2016 से मुख्यमंत्री राजश्री योजना का संचालन होने की दशा में मुख्यमंत्री राजश्री योजना में भुगतान हेतु निम्न दिशा-निर्देश दिये जाते हैं:-

- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत राजकीय एवं जननी सुरक्षा योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सालयों में जीदित बालिका जन्म पर दी जाने वाली परिचालन राशि रु. 2500/- अभिस आदेशो तक मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना हेतु उपलब्ध राशि में से किया जाना है जो सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
- व्यय की बुकिंग मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत किया जाना है। व्यय की बुकिंग एफएमआर में अन्य गतिविधियों में मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत दर्शाया जाना है।
- मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का द्वितीय परिचाल पूर्वानुसार ही शुभलक्ष्मी योजना हेतु उपलब्ध राशि में से किया जाना है तथा व्यय की बुकिंग मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत ही की जानी है तथा एफएमआर में पूर्वानुसार ही दर्शाया जाना है।

  
निदेशक, परिवार कल्याण

**प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :-**

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- 5 निजी सचिव, मिशन निदेशक एनएचएम एवं विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- 6 निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम एवं निदेशक आईईसी।
- 7 परियोजना निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
- 8 वित्तीय सलाहकार, एनएचएम/मुख्य लेखा अधिकारी, प.क., मुख्यालय, जयपुर।
- 9 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ जौन-जयपुर/अजमेर/जोधपुर/उदयपुर /कोटा/बीकानेर/भरतपुर।
- 10 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक।
- 11 कार्यक्रम प्रबन्धक, महिला अधिकारिता विभाग समस्त जिलों।
- 12 समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/अति. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प.क. /स्वास्थ्य।
- 13 समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ समस्त ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक समस्त जिले।
- 14 समस्त चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी उप जिला अस्पताल/सेटेलाईट अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
- 15 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलों में एवं सम्बन्धितों को ई-मेल द्वारा सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 16 रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक, परिवार कल्याण